



स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव की पुनरकल्पना

यह एडिटरियल 06/12/2022 को 'हदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "India is paving the way for truly accessible elections" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में चुनाव और उनसे संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

भारतीय संविधान के संस्थापकों ने प्रतनिधिक संसदीय लोकतंत्र की कल्पना भारत के लोकाचार, पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं के लिये सबसे उपयुक्त राज्य व्यवस्था के रूप में की थी।

- उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी वयस्क नागरिकों की बना किसी भेदभाव के समान भागीदारी की परिकल्पना की थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) के माध्यम से लोगों के प्रतनिधियों का **चयन और स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव** (Free And Fair Elections) भारतीय गणतंत्र के लिये सबसे उपयुक्त प्रतीत होते हैं।
- भारत में चुनावों का आयोजन लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, विधान परिषद, स्थानीय निकाय, नगर नगिम, ग्राम पंचायत, ज़िला पंचायत एवं प्रखंड पंचायत के सदस्यों के नरिवाचन के साथ ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के नरिवाचन के लिये कराया जाता है।
- लेकिन मौजूदा चुनाव प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है जो इसकी 'स्वतंत्र एवं नषिपक्ष' प्रकृति के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं। इसलिये यह ज़रूरी है कि इन मुद्दों की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए और इन्हें समग्र रूप से संबोधित किया जाए।

भारत में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के **अनुच्छेद 326** में प्रावधान है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित होंगे।
- **अनुच्छेद 324** के अनुसार, नरिवाचनों के लिये नरिवाचक-नामावली (मतदाता सूची) तैयार कराने का और उन सभी नरिवाचनों के संचालन का अधीक्षण, नदिशन और नरिचक्षण **नरिवाचन आयोग में नहिति होगा**।
- **अनुच्छेद 243K और 243ZA** के तहत स्थानीय निकायों—पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव की ज़िम्मेदारी **राज्य चुनाव आयोगों** पर है।
- अनुच्छेद 328 राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

नरिवाचन आयोग की शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ

- पूरे देश में नरिवाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं का नरिधारण।
- मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर उन्हें संशोधित करना तथा सभी अरहत मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- चुनावों के कार्यक्रम और तथियों को अधिसूचित करना तथा नामांकन पत्रों की जाँच करना।
- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना।
- चुनाव के बाद संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है।
- आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नरिवाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिये भी यह ज़िम्मेदार है।

भारत में स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- **मतदाताओं के सूचना-संपन्न नरिणयन को वकित करना:** अनरिचरित लोकलुभावनवाद के कारण **चुनाव अभियानों के दौरान 'अतारककि मुफ्त उपहारों'** (Irrational Freebies) की पेशकश की जाती है जो मतदाताओं को (वशेष रूप से वंचित समूहों के मतदाताओं को) पक्षपाती बनाता है क्योंकि ऐसे मुफ्त उपहार उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और अपने प्रतनिधियों को चुनने की सूचना-संपन्न नरिणयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
- **स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी:** चूँकि भारत नरिवाचन आयोग (ECI) के पास स्वयं के कर्मचारी नहीं होते हैं, इसलिये जब भी चुनाव होते हैं तो इसे कर्मियों के लिये केंद्र और राज्य सरकारों पर नरिभर रहना पड़ता है।
- परणामस्वरूप, प्रशासनिक कर्मचारी ही सामान्य प्रशासन के साथ-साथ चुनावी प्रशासन के लिये भी ज़िम्मेदार होते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को कम नषिपक्ष और कुशल बनाता है।

